

उ३५

पत्रावली पेश हुई। जर्जी व वकील प्रार्थी  
उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण  
प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल दावा अदम पेशी  
अदम हाजरी में स्वारिज हो चुका है। जिससे  
यह प्रार्थना-पत्र भी अदम आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र भी इसी स्तर पर  
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली निर्वाप में शुमार  
की जावे तथा तरहीब तक्मिल की जाकर दाखिल  
दफ्तर की जावे।

Legend

उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर चूरु